

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग के पत्र संख्या: 392/XXIII/2020/04 (01)/2020 देहरादून दिनांक अगस्त 04, तथा आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 5788/सात-लाई-वी-369/व्यव0 /2020-21 सा0निर्देश /विज्ञप्ति /दे0दून दिनांक 04.08.2020 के क्रम में जनपद की अद्यतन अव्यवस्थापित देशी मदिरा की निम्न फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन की तिथि से वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) के अन्त तक के राजस्व पर मदिरा दुकानों का लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिये निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	दिनांक व समय
01.	लॉटरी	आवेदन प्राप्त करने की तिथि
		दिनांक 07.08.2020 समय 05:00 बजे अपराह्न तक
	लॉटरी की तिथि	दिनांक 10.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक

अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है

क्र0 सं0	देशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पूर्व निर्धारित राजस्व	दिनांक 1.4.2020 से 9.8.2020 का राजस्व	वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु राजस्व	लाईसेन्स फीस 1000 के पूर्णांक में	कुल अधिभार	प्रतिभूति की धनराशि	धरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि
1	पिथौरागढ़	7200000	2584110	4615890	46000	4569890	571236	115397	461589
2	डीडीहाट	5500000	1973973	3526027	35000	3491027	436378	88151	352603
3	गंगोलीहाट नं0-2	10500000	3768493	6731507	67000	6664507	833063	168288	673151
	योग:-	23200000	8326575	14873425	148000	14725425	1840678	371836	1487342

अतः इच्छुक आवेदक, उक्त मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ में आवेदन शुल्क रू0 30,000.00(नोंन रिफन्डेबल) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़ के नाम देय हो) एवं निर्धारित प्रारूप जी-39 में हैसियत प्रमाण पत्र व स्थाई निवास प्रमाण पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़ व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्र संख्या 343/व्यवस्थापन मदिरा दुकान/वर्ष 2020-21/जि0आब0अधि0/पिथौरागढ़/दिनांक-अगस्त 5, 2020

1. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी।
4. उप आबकारी आयुक्त आई0टी मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पिथौरागढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एन0आईसी की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर दुकानों का व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम संभव स्थान में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में दिनांक 06.08.2020 के अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।